गोदी मीडिया का सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी बचाव नहीं कर पा रही मोदी सरकार

जेपी सिंह

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा भाजपा के सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी एजेंडों को धार देने के लिए चलाए गए और चलाए जा रहे प्रसारणों की न्यायिक समीक्षा से बचाव का कोई क़ानूनी आधार न होने से उच्चतम न्यायालय में चाहे तबलीगी जमात का मामला हो या फिर सुदर्शन टीवी के विवादास्पद 'बिंदास बोल' का मामला हो, मोदी सरकार को जवाब नहीं सूझ रहा है और अधकचरे जवाब से जहां कोर्ट की फटकार सुननी पड़ रही है, वहीं गोदी मीडिया का प्रभावी बचाव भी अदालत में नहीं हो पा रहा है। यह राष्ट्रवाद या पर्सनल लिबर्टी के मामले नहीं हैं, बल्कि संविधान और कानून के अनुपालन से संबंधित मामले हैं, इसलिए इसमें न्यायपालिका को एक क्लियर स्टैंड लेना ही पड़ेगा।

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को सुदर्शन न्यूज चैनल के विवादास्पद शो के खिलाफ मामले की सुनवाई को दो हफ्ते टाल दिया, ताकि पक्षकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे का जवाब दे सके। केंद्र ने सुदर्शन न्यूज चैनल को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ने की बात कही है। सुनवाई में केंद्र सरकार द्वारा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की एक पीठ को सूचित किया गया कि उसने मुस्लिमों के सिविल सेवाओं में प्रवेश को सांप्रदायिक रूप देते हुए बिंदास बोल शो के लिए सुदर्शन टीवी को चेतावनी देते हुए कहा है कि सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल भविष्य में सावधान रहे।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने

हलफनामे में में कहा है कि सुदर्शन टीवी चैनल ने नौकरशाही में मुस्लिमों की घुसपैठ पर आधारित अपने 'बिंदास बोल' कार्यक्रम की चार कड़ियों के जरिए कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन किया है और चैनल को भविष्य में ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हलफनामे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चार नवंबर को पारित किए गए अपने आदेश को प्रस्तुत किया है। विवादित कार्यक्रम पर चैनल को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के संबंध में कार्रवाई करते हुए यह आदेश जारी किया गया था।

हलफनामे में कहा गया कि चैनल द्वारा पेश की गई मौखिक और लिखित स्थापना तथा अंतर मंत्रालयी समिति के सुझावों का संज्ञान लेते हुए मंत्रालय का मत है कि हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, किंतु कार्यक्रम की कड़ियों में जो विषय वस्तु दिखाई जा रही थी उससे पता चलता है कि चैनल ने विभिन्न ऑडियो-विजुअल सामग्री से कार्यक्रम को दिखाने के नियमों का उल्लंघन किया है। मंत्रालय ने पाया कि वह वांछित नहीं हैं, अपमानजनक हैं और सांप्रदायिक विचारों को प्रोत्साहित करते हैं। मंत्रालय ने सुदर्शन टीवी के इस विवादित कार्यक्रम के आगे के एपिसोड पर रोक नहीं लगाई और उन्हें भविष्य में सावधानी' बरतने की सलाह देते हुए छोड़ दिया। चैनल को चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में प्रोग्राम कोड का कोई उल्लंघन होता है तो चैनल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रालय ने भी निर्देश दिया कि चैनल अपने कार्यक्रम 'बिंदास बोल-यूपीएससी जिहाद' के अगले एपिसोड्स पर पुनर्विचार करे और उस हिसाब से शो के कंटेंट में परिवर्तन किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रोग्राम कोड का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले को अब दो सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा। बुधवार को, यह बताया गया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुदर्शन न्यूज को अपने कार्यक्रम के शेष चार एपिसोडों का प्रसारण करने की अनुमति दी है, जो उपयुक्त संशोधनों और संतुलन के अधीन हैं ताकि भविष्य में प्रोग्राम कोड का उल्लंघन न किया जा सके। मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने और ब्रॉडकास्टर के मौलिक अधिकारों को संतुलित करने के बाद, चेताया जाता है कि सुदर्शन टीवी चैनल लिमिटेड भविष्य में सावधान रहे। यह चेतावनी भी दी गयी है कि यदि भविष्य में, प्रोग्राम कोड का कोई उल्लंघन पाया जाता है, जो कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

उच्चतम न्यायालय के 23 सितंबर के आदेश के अनुपालन में दायर हलफनामे में टीवी चैनल को चेतावनी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जैसा कि केंद्र ने सुदर्शन न्यूज चैनल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, इससे कानून के अनुसार निपटा जाएगा और यह कि अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी जो परिणाम का संकेत देगी।

केंद्र इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सुदर्शन न्यूज चैनल समेत हर निजी टीवी चैनल, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग गाइडलाइन्स, 2011 के तहत अनुमति दी गई है, कार्यक्रम और विज्ञापन कोड द्वारा निर्धारित है, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत बाध्यकारी है।

मंत्रालय की राय है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन एपिसोड के प्रसारण के स्वर और सिद्धांत यह दर्शाते हैं कि चैनल ने कथनों और ऑडियो-विजुअल सामग्री के माध्यम से प्रोग्राम कोड को तोड़ दिया है। वे अनुचित हैं, आक्रामक हैं और सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की संभावना रखते है। नतीजतन, चैनल को चेतावनी दी गई है कि वह भविष्य में कभी ऐसा न दोहरायें क्योंकि ऐसा करने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसलिए, कार्यक्रम के शेष चार एपिसोड को उसकी समीक्षा के बाद टेलीकास्ट किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रोग्राम कोड का कोई उल्लंघन नहीं है।

मंत्रालय का आदेश उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम के अधीन होगा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया था कि अंतर-मंत्रालय समिति (आईएमसी), जो मंत्रालय की नियामक शक्तियों के आलोक में बनाई गई थी, ने सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल के संबंध में कुछ अतिरिक्त सिफारिशें की थीं, जो अखिल भारतीय सिविल सेवा में मुसलमानों के प्रवेश के बारे में उसके शो 'बिंदास बोल' पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने की शिकायतों का सामना कर रहा है। इससे पहले, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केबल टीवी नेटवर्क नियामक अधिनियम के तहत प्रोग्राम कोड के उल्लंघन की शिकायतों पर चैनल को नोटिस दिया था। गौरतलब है कि 'बिंदास बोल' सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके का शो है। अगस्त के आखिरी सप्ताह में जारी हुए इसके एक एपिसोड के ट्रेलर में चव्हाणके ने हैशटैग यूपीएससी जिहाद लिखकर नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठ के षड़यंत्र का बड़ा खुलासा करने का दावा किया था।

आपका-हमारा सरोकार

किस काम का होगा शिवराज का गाय मंत्रालय

मध्य प्रदेश में सरकार ने गाय मंत्रालय बनाने की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि गौमाता के संरक्षण के लिए यह मंत्रालय बनाया गया है। इसकी पहली बैठक 22 नवम्बर को होगी। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सबसे पहले गाय को लेकर गौ आयोग बनाया। पशु सरंक्षण कानून को क्रूरतम बना दिया। लेकिन क्या हरियाणा में इससे पशुधन या विशेषकर गाय को कोई लाभ हुआ? अगर हरियाणा में कोई लाभ हुआ होगा तो मध्य प्रदेश में भी होगा। गाय-भैंस पालने वाले किसानों और पशुपालकों की भाजपा शासित सरकारों को चिन्ता नहीं है। किसानों के बेटों को न नौकरी मिल रही न स्कूल-कॉलेज मिल रहे हैं। लेकिन उन्हें उलूल-जुलूल की धार्मिक भावनाओं में बहाकर भाजपा-आरएसएस अपना उल्लू सीधा कर रही है। सिर्फ जागरुक जनता ही इसका इलाज कर सकती है। रोटी-रोजी के सामने गाय की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, यह सवाल आप खुद से पूछ सकते हैं।

लव जेहाद मतलब बाकी मामलों में जवाबदेही खत्म

नाकारा कानून व्यवस्था से जूझ रहे तीन राज्य हरियाणा, एमपी और यूपी लव जिहाद पर कानून बनाने जा रहे हैं। कोरोना काल में मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं हैं, सस्ता इलाज नहीं है, बैंक डूब रहे हैं, अर्थव्यवस्था गर्त में जा चुकी है। हरियाणा कई सरकारी विभागों में चार महीने से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में जनता का ध्यान एक काल्पनिक समस्या की ओर मोड़कर टाइम पास सरकार चलाई जा रही है। हरियाणा समेत कई राज्यों को जीएसटी में उसका हिस्सा नहीं मिला है। इस वजह से उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आमदनी बढ़ाने की कोई ठोस कार्ययोजना नहीं होने के कारण लोगों को कभी लव जिहाद, कभी मंदिर, कभी कुछ और डर दिखाकर उनका ध्यान बंटाया जा रहा है। अगर धार्मिक भावनाओं को भड़काने से जनता काबू में रहती है तो इससे सरकार को सारी जवाबदेही से फुरसत मिल जाती है।

सरकार नहीं, आदिवासी चिंतित हैं

केरल के अनाक्कयम में एक हाइडल प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसके खिलाफ कदार आदिवासी खड़े हो गए हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए 5.7 किलोमीटर लंबी सुरंग परमबिकुम टाइगर रिजर्व से निकलेगी। इस वजह से इस जंगल के बफर जोन में हजारों पेड़-पौधे, जड़ी-बूटियां नष्ट हो जायेंगी। इस जंगल को 'वजाचल फॉरेस्ट' भी कहते हैं। इसके साथ चलाकुडी नदी भी बहती है। पश्चिमी घाट के इस इलाके में यह प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बन गया है। करीब बीस एकड़ हिस्से में पूरा जंगल काट दिया जाएगा। आप इसका असर समझ सकते हैं। हालांकि उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड में जंगल को तबाह करने वाले तमाम प्रोजेक्ट पर आदिवासियों ने आवाज उठाई लेकिन उन्हें कुचल दिया गया। झारखंड में अडानी के पावर प्रोजेक्ट का जब वहां के आदिवासियों ने विरोध किया और स्व. स्वामी अग्निवेश उनके समर्थन में जब वहां पहुंचे तो अडानी के गुर्गों ने स्वामी अग्निवेश पर भगवा गुंडों से हमला करा दिया। स्वामी अग्निवेश को उस समय गंभीर चोटें आई थीं। लेकिन यह देश उन चोटों को भूल गया इसलिए अब फिर दूसरे राज्य में अब आदिवासियों को कुचलने की तैयारी है।

बीपीसीएल: सोने का अंडा देने वाली एक और मुर्गी जिबह के लिए तैयार

गिरीश मालवीय

मोदी सरकार ने कल हर साल सोने का अंडा देने वाली एक और मुर्गी जिबह कर दिया। बीपीसीएल के निजीकरण के लिए सरकार ने बोलियां आमंत्रित की थीं, जिन्हें सौंपने का कल आखिरी दिन था। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि इसका अधिग्रहण रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगी, वैसा कल तो नहीं हुआ है। रिलायंस भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की बिक्री के लिए लगी प्रारंभिक बोली में शामिल नहीं हुई है। शायद वह किसी दूसरी कंपनी के मार्फ़त इसे हथियाना चाह रही है। सरकार ने भी बिड लगाने वाली कंपनियों के नाम डिस्क्लोज नहीं किए हैं।

रिलायंस ने अभी तक बीपीसीएल को लेकर अपने इरादों पर चुप्पी बनाए रखी है। रिलायंस ने हाल में बीपीसीएल के पूर्व अध्यक्ष सार्थक बेहुरिया को कंपनी में बड़े पद पर नियुक्त किया था और कुछ हफ्ते पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के पूर्व चेयरमैन संजीव सिंह को भी नियुक्त किया था।

वैसे बीपीसीएल को बेचना ही गलत है। यह सरकार के लिए प्रॉफिट कमाने वाली देश की सबसे एफिशिएंट कंपनी है और पिछले पांच साल से यह सालाना 8 से 10 हजार करोड़ रुपये लाभांश दे रही थी। वित्त वर्ष 2018-19 में बीपीसीएल को 7,132 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।

भारत के पेट्रोलियम सेक्टर में बीपीसीएल बड़ा नाम है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों में बीपीसीएल सबसे पेशेवर ढंग से चलने वाली कंपनी है। अगर कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग की बात करें तो बीपीसीएल देश में करीब 13 फ़ीसदी तेल रिफाइन करता है। यानी हर साल करीब 33 मिलियन मीट्रिक टन। तकरीबन 15000 फ्यूलिंग स्टेशन हैं और 6000 एलपीजी डिस्टीब्यूटर्स। घर में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस से लेकर प्लेन के फ्यूल तक बीपीसीएल सब बनाती है।

अधिग्रहण करने की दौड़ में शामिल कंपनियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण ईंधन बिक्री का खुदरा नेटवर्क है। इस बाजार में बीपीसीएल की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत है। सूत्र ने कहा कि कंपनी की रिफाइनरियों के पास विस्तार की जगह नहीं है। विशेष रूप से मुंबई और कोच्चि में यह स्थिति है। इन रिफाइनरियों के पास विस्तार या पेट्रो रसायन इकाई के विस्तार के लिए जमीन पाना लगभग असंभव है, इसलिए बोली लगाने के लिए कंपनियों के लिए बेहद लाभदायक अवसर है, लेकिन कोरोना काल की वजह से देसी-विदेशी कंपनियां इसमें कम रुचि दिखा रही हैं।

एनडीए सरकार की बीपीसीएल को बेचने की यह पहली कोशिश नहीं है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी ऐसी कोशिश हुई थी। तब सरकार 34.1 फीसदी हिस्सा बेच रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार बिना कानून में ज़रूरी बदलाव किए बीपीसीएल को नहीं बेच सकती, लेकिन अब ऐसी कोई बंदिश नहीं रही है। संसद की अनुमति लेने का प्रावधान 2016 में कानून बदलने के साथ ही ख़त्म हो गया।

सरकार के बीपीसीएल के विनिवेश के फैसले को लेकर उसके कर्मचारी आश्चर्यचकित हैं। वे कहते हैं कि इसे प्राइवेटाइज करना सोने की चिड़िया को मारने जैसा होगा और इससे इकॉनामी, सरकार के सामाजिक कल्याण कार्यक्रम और एनर्जी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचेगा। विनिवेश का आधार यह होता रहा है कि जो सरकारी उपक्रम लगातार नुकसान में चल रहे हैं, उन्हें बेच दिया जाएगा, लेकिन यहां तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को ही बेचा जा रहा है। दरअसल, नोटबंदी और जीएसटी के बाद सरकार की राजस्व हानि में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इसे काबू करने के लिए सरकार ने सरकारी संपत्तियों को बेचने पर अपना ध्यान बढ़ा दिया है।

बांबे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर प्राइस 412.70 रुपये के बंद भाव पर बीपीसीएल में सरकार की 52.98 फीसदी की हिस्सेदारी के आधार पर 47,430 करोड़ रुपये की है। वहीं खरीदार को जनता से 26 फीसदी खरीदने के लिए खुली पेशकश करनी होगी, जिसकी लागत 23,276 करोड़ रुपये आंकी गई है। यानी कंपनी की कुल कीमत के लिए करीब 70 हजार करोड़ रुपये चुकाने होंगे, जो कंपनी की वास्तविक वैल्यू से काफी कम है।

बीपीसीएल की कर्मचारी यूनियन का कहना है, बीपीसीएल की संपत्ति के व्यापक मूल्यांकन से पता चलता है कि कंपनी का सही मूल्यांकन 9 लाख करोड़ रुपये होगा। सामान्य तौर पर प्रबंधन नियंत्रण बाजार पूंजीकरण के ऊपर 30 से 40 प्रतिशत प्रीमियम के साथ दिया जाता है। अगर 100 प्रतिशत से अधिक प्रीमियम भी कंपनी को मिलता है, तो भी 4.46 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हो सकता है।

कोरोना काल की वजह से भी इसकी कीमत बेहद कम मिल रही है। इसके बावजूद भी मोदी सरकार प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बेहद कम कीमत में इसे बेच रही है।